http://win10.io

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH | BP 341541

आर्यन एजूकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट

न्यास–पत्र

यह न्यास–विलेख आज दिनांक–29–08–2018 को अम्बेडकरनगर में श्रीमती तारा देवी पत्नी श्री रामपूजन निवासी ग्राम–मरवठा पोस्ट बलवा जलालपुर,तहसील टाण्डा, जनपद–अम्बेडकरनगर, उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया है, जिसे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा, क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक रू0–11,000/– (ग्यारह हजार रूपये) की राशि से सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करेगा। इस ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान, उपहार, ऋण आदि प्राप्त करेगा, जिससे ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके तथा वर्तमान समय में इस ट्रस्ट के पास कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

तारादेवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 341542

(2)

वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय–निकट [illegible] कार्यालय [illegible] रोड, पटेलनगर, अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, [illegible] होगा तथा अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय–समय पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा एवं शाखाएं भी खोली जा सकती है ।

न्यासकर्ता/ट्रस्टी/सेटलर/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार घोषित किया जाता है–

"[illegible] एजूकेशनल एवं मेडिकल ट्रस्ट" निकट [illegible] कार्यालय [illegible] रोड, पटेलनगर, अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर, [illegible] (इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

1–न्यास का उद्देश्य :–

निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को चिकित्सीय सहायता देना विशेष रूप से–

1– धर्मार्थ चिकित्सालयों, नर्सिंग होम तथा सेनेटोरियम, औषध अस्पताल आदि को प्रारम्भ करना।

2– ट्रस्ट द्वारा पैरा मेडिकल, मेडिकल चिकित्सालय, इन्जीनियरिंग कालेज, मैनेजमेंट कालेज एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उनका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

3– निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को पूर्णतया निःशुल्क अथवा अल्प शुल्क पर चिकित्सा सुविधा देना ।

4– निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को न्यास द्वारा संचालित किसी चिकित्सालय से सहायता देना या अन्य किसी चिकित्सालय में भर्ती होने पर सहायता देना ।

5– किसी भी चिकित्सालय को या चिकित्सालय संस्थान को आपरेशन सामग्री एवं बेड आदि की सहायता देना।

p://wiTTO.io

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 341543

6– औषधि के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु किसी व्यक्ति या चिकित्सा संस्थान या चिकित्सालयों, समितियों को सहायता देना या दान देना ।

7– ऐसे सभी कार्यों को करना जिसमें निर्धनों की चिकित्सा होती हो ।

8– भूमि व भवन खरीद कर हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, डिस्पेन्सरी, नर्सिंगहोम, मैटरनिटीहोम की स्थापना करना तथा इस कार्य हेतु संग्रह करना।

9– निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सहायता शिविर, एड्स जागरूकता शिविर, विकलांग शिविर, मद्यपान निषेध शिविर का आयोजन करना।

10– ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक से उच्च स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था करना।

11– ट्रस्ट द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन एवं प्रबन्ध करना।

12– ट्रस्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।

13– ट्रस्ट द्वारा गरीब और प्रवीण बच्चे–बच्चियों के लिए निःशुल्क तालीम की व्यवस्था करना एवं निःशुल्क पोषण एवं प्रशिक्षण देना ।

14– ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक एवं केन्द्रीय विद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।

15– ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रति पूर्ण रूझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।

16– ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक नैतिक एवं सामाजिक स्तर के सुधार हेतु ज्ञानवर्धक पुस्तकों का भण्डारण करना तथा उनके माध्यम से लोगों में जागृति का संचार करना।

17– ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में युवक/युवतियों एवं बालक/बालिकाओं के लिए खेलकूद व्यायामशाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 341544

18– ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना ।

19– ट्रस्ट द्वारा लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन करना ।

20– ट्रस्ट द्वारा बालक/बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।

21– ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्धन फिल्में, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।

22– ट्रस्ट द्वारा गरीबी अथवा अन्य कारण वश शिक्षा न प्राप्त करने अथवा बीच में ही छोड़ देने वाली महिलाओं बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम कन्डेन्स कोर्स चलाना।

23– निजी क्षेत्र का डीम्ड विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन।

24– ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि के संचालन हेतु भवन व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना ।

25– ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग, खेतिहर वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्पवर्ग, महिला वर्ग, अनुसूचित जाति/जन जाति आदिवासी, मलिन वर्ग एवं गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा संचालन करना ।

26– ट्रस्ट द्वारा बालक एवं बालिकाओं को सफल बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, शार्ट हैण्ड, फोटोकापी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

27– ट्रस्ट द्वारा वृद्ध असहाय तथा अनाथ महिलाओं एवं पुरुषों हेतु वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

28– ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना । नदियों, जलाशयों की सफाई मलिन बस्ती का सुधार, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाना।

तारादेवी

http://wirTO.io

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 341545

(5)

29– ट्रस्ट द्वारा ग्राम्य विकास के लिए कार्य करना एवं कमजोर निर्बल वर्गों को निःशुल्क आवास की व्यवस्था करना भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना और भूमि संरक्षण का प्रयास करना।

30– बी०टी०सी०,बी०एड०,एम०एड०,बी०एस०सी०,बी०ए०,एम०ए०,बी०पी०एड०,एम०पी०एड०, आई०टी०आई०,आई०आई०टी०,जे०एन०एम०,डी०फार्मा,बी०फार्मा आदि का संचालन करना।

31– ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु जागरूकता शिविर लगाना। परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी दिलाना। शिशु पालन गृह का संचालन करना।

32– ट्रस्ट द्वारा समाजोत्थान हेतु संगोष्ठियों परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना ।

33– ट्रस्ट द्वारा साम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता अखण्डता एवं बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

34– ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला/दलित महिला के श्रम का समायोजन करना।

35– ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के सहभागिता पर आधारित कार्यों को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तिकरण हेतु तकनीकी शिक्षा पौष्टिक आहार पोषण शुद्ध खाद्य पदार्थ का उपयोग स्वास्थ्य उत्थान महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं का क्रियान्वयन/कार्यान्वयन व संचालन करना।

36– ट्रस्ट द्वारा विकलांगों मूक बधिरों, नेत्रहीनों, मंद बुद्धि, मानसिक रोगियों व कुष्ठ रोगियों के कल्याण हेतु सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी पर जोर देना ताकि शिक्षा तकनीकी, शिक्षा रोजगारपरक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानसिक विकास स्वस्थ शान्ति वातावरण सुरक्षा का दायित्व प्रदान करना।

रमा देवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 341546

जिससे वे लोग समाज में प्रतिस्थापित हो और स्वावलम्बी बन सकें। जैसे कार्य करना।

37– ट्रस्ट द्वारा हस्तकरघा, पापड़ उद्योग, मसाला [illegible], खाद्य तेल [illegible], हस्तशिल्प, शिल्पकला, मूर्तिकला, पेन्टिंग, हस्तकला, हस्तकागज कला उद्योग, सिलाई होजरी, सिलाई, कढ़ाई, गृह सामग्री, रेडीमेड, गारमेन्ट्स, सब्जी मसाला, पैकिंग, [illegible] उद्योग, मूर्तिकला, चित्रकला, काष्ठकला, हाथ कागज, लिफाफा, [illegible], मिठाई, मशरूम कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन व तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण, खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौधा रोपण, नर्सरी वनीकरण, [illegible] संरक्षण, खादी, कताई, कम्प्यूटर, शार्टहैण्ड, टाइपिंग, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रानिक्स, उद्योग आदि की व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एवं उक्त व्यवसाय में लगे लोगों का उत्थान करना।

38– ट्रस्ट द्वारा जड़ी बूटी व औषधीय पौधों का प्रचार–प्रसार व संचालन एवं औषधीय पौधों के बारे में उपलब्धता और जागरूकता को बढ़ावा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान "शिक्षा" प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करना।

39– ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण गर्भवती महिलाओं के प्रजनन व शिशुओं के लिए स्वास्थ्य मातृत्व जागरूकता तथा पौष्टिकतायुक्त खाद्य पोषण दवा व उपचार की उपलब्धता, व्यवस्था का प्रबन्ध कराना।

40– जनसंख्या वृद्धि परिवार कल्याण नियोजन, लिंग भेद, भ्रूण हत्या का नियंत्रण स्थिर रखने हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार व्यापक अभियान स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन करना तथा समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचना शिक्षा तथा संप्रेषण के माध्यम से सुदूर ग्रामों तक परिवार कल्याण कार्यक्रमों को पहुँचाने का कार्य करना एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 341547

41– एच0आई0वी0/एड्स को नियंत्रित करना तथा यौन संचारित संक्रमणीय रोगों का उपचार करना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच अधिक से अधिक एकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करना, पल्स पोलियो अभियान का कार्य करना।

42– ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियों, जंगल वासियों, आदिवासियों व अति कमजोर विस्थापित व आप्रवासी/प्रवासी गरीबों व निःसहाय आवास पोषण,
पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराना व निर्माण संचालन प्रबन्धन सेवा परामर्श आदि कार्य करना।

43– ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत कुपोषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान/पौष्टिकता सम्बन्धी जानकारी पूरक पोषण को बढ़ावा कम मूल्य के पोषण/पौष्टिक आहारों का प्रयोग किशोरियों/शिशुओं को पोषण/पौष्टिकता सम्बन्धी देखभाल पर विशेष बल एवं अनुश्रवण की व्यवस्था संचालन तथा प्रचार–प्रसार करना।

44– पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संसाधनों का उपयोग करना एवं भौतिक कारकों में सामन्जस्य स्थापित करना ।

45– ट्रस्ट द्वारा भूमि का विविधिकरण उन्नति पद्धतियों के द्वारा उत्पादन कार्य को बढ़ाना, भूमि संरक्षण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जलसंरक्षण जलसंचय तथा नमी संरक्षण का ज्ञान व प्रचार–प्रसार करना।

46– ट्रस्ट द्वारा लघु ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाना । स्वैच्छिक कार्य सम्बन्धी राष्ट्रीय आँकड़ा संग्रहण के रूप में कार्य करना उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रचार–प्रसार के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | INDIA | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　　　BP 341548

47– ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता और शैक्षिक कार्य को बढ़ावा देना राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का संचालन व नेटवर्किंग करना तथा ग्रामीण स्वच्छता शौचालय/पेयजल परियोजनाओं के कार्यक्रमों को संचालित करना।

48– ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, का निवारण का दिशा-निर्देशन एवं प्रचार-प्रसार एवं रोकथाम करना। प्रदूषण रहित परियोजनाओं की व्यवस्था निर्माण एवं संचालन करना बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों/लोगों की मदद करना।

49– ट्रस्ट द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/व्यक्तिगत देशी/विदेशी परियोजनाओं का निर्माण संचालन सर्वेक्षण अन्वेषण उपकरण भूमिगत निर्माण अनुसंधान विकास कार्यान्वयन क्रियान्वयन अनुश्रवण आदि का कार्य करना।

50– ट्रस्ट द्वारा बस्ती के अतिरिक्त संरक्षण के उपाय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व प्रबन्धन करना जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण स्वच्छ वातावरण आवास व्यवस्था तथा शान्ती वातावरण एवं सुरक्षा का वातावरण प्रदान करने का सुदृढ़ कार्यक्रमों एक व्यवस्था करना।

51– ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के सजायाफ्ता कैदियों/आजीवन कारावास के कैदियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने व समाज में पुर्नस्थापना व स्वावलम्बी बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण स्वास्थ्य सुविधा व पुनर्वास के कार्यक्रमों का संचालन व व्यवस्था करना ।

52– ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का एवं संस्था अपने द्वारा जारी सभी कार्यों/परियोजनाओं के प्रबन्धन, कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन शोध, साक्षियों, निगरानी, नर्सों के कार्यों का संचालन व मार्गदर्शक के रूप में

तारादेवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 341549

सम्पन्न कराना तथा कार्यशाला विचार गोष्ठी का आयोजन व संचालन करना, अनुभवी प्रशिक्षकों व वैज्ञानिकों के सहयोग को उपलब्ध कराना।

53– ट्रस्ट द्वारा मानव कल्याण हेतु शिक्षा, पोषण, आवास, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे आधारभूत आवश्यकताओं का सृजन संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनों का उपयोग करना।

54– ट्रस्ट द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, रूढ़िवादी विचारों, अन्धविश्वासों को समाप्त करने हेतु प्रचार–प्रसार का आयोजन करना।

55– ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण व शहरी पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र को उपयुक्त नीति से निर्धारण में सहायता करना तथा पेयजल स्रोत, स्वच्छता एवं जलसंरक्षण के संचालन हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन आदि का निर्माण एवं रख रखाव व प्रबन्धन करना।

56– ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी अर्द्ध सरकारी विभागों व्यक्ति/व्यक्तियों स्वयं सेवी संगठनों से परियोजना सम्बन्धी सहयोग व परामर्श प्राप्त करने का कार्य तथा संचालन व प्रबन्धन करना तथा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यान्वयन क्रियान्वयन अनुश्रवण व संचालन का कार्य करना।

57– ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क प्रौढ़ आंगनवाड़ी सेवा जन शिक्षण केन्द्र, सहभागी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

58– समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग महिला, समाज नेहरू, शिक्षा, यूनिसेफ, यू०एन०डी०पी०, कपार्ट, यूनेस्को, सिडबी, आईआर्ड, नाबार्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विकलांग एवं युवा विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विभाग, ट्राइसेम, सूडा, डूडा, जलनिगम, जल संस्थान, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग से सभी प्रकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों को प्राप्त करना।

तारादेवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 341550

59– ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु उनके अधिकारों का जन–जन तक ज्ञान पहुँचाने हेतु उनके कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

60– गाँवों में किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार, नवयुवकों व महिलाओं को मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन तथा पशुपालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार सम्बन्धी समस्त उपकरणों को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं मत्स्य पालन के विकास के लिए तकनीकी शोध करना।

61– खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित समस्त ग्राम उद्योगों की स्थापना करना।

62– ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु किसानों की सुविधा के लिए भण्डार गृह आदि की सुविधा उपलब्ध कराना व उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा तथा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है, किन्तु ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय भारत में ही होगा।

3–ट्रस्ट के धन का विनियोग–

1– ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर की धारा–80G से प्रभावित/मुक्त होगा।

2– उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एवं व्यय करना, सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित धन लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना। यदि आवश्यकता पड़े तो ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करना एवं ट्रस्ट के नाम सम्पत्ति क्रय करना। यह सब मैनेजिंग ट्रस्टी/न्यासी/सेटलर/प्रबन्धक अपने हस्ताक्षर से स्वयं करेंगे।

3– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश–विदेश से दान व ऋण, एवं किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड या कोई चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

p://win10.io

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — BP 341551

4– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय, प्रबन्ध हस्तान्तरण, विनिमय, बंधक, दृष्टि बंधक पट्टे, गिरवी या किसी भी भाँति से उपयोग में लाना।

5– अपने समस्त कार्यों हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हो, अर्थात् लाभकारी हो ।

3– ट्रस्ट मण्डल

1– ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा ।

2– ट्रस्ट में नामित सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

3– ट्रस्ट के पदाधिकारी के मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता जिसमें वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से ग्रसित होने पर उनका प्रथम कानूनी उत्तराधिकारी अथवा उनके द्वारा मृत्यु पूर्व नामित व्यक्ति ही उनके स्थान पर मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति से ही नियुक्त किया जायेगा।

4– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर/अध्यक्ष/प्रबन्धक/सेटलर के हस्ताक्षर द्वारा समस्त दस्तावेजों का निष्पादन किया जायेगा।

5– ट्रस्ट के स्थायी, अस्थायी एवं नामित सदस्यों की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से की जायेगी ।

6– किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा निर्णय ही मान्य होगा।

7– ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यों का क्रियान्वयन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति के बाद ही मान्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 341552

8– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल विभिन्न समूहों (यूनिटों) का गठन कर सकेगा।

9– ट्रस्ट मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के अनुमोदन से ट्रस्ट के कार्यों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु नियमावली बना सकता है एवं उसे जारी कर सकता है।

4– ट्रस्ट मण्डल (जनरल बाडी) के अधिकार एवं कर्तव्य:–

1– पूर्व मीटिंग की कार्यवाही की स्वीकृति देना।

2– मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा रखी गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करके उसे पास करना।

3– आगामी वर्ष के बजट पर चर्चा करके उसे पास करना।

4– ट्रस्ट की नियमावली में मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा किये गये संशोधन को ट्रस्ट के हित में मंजूरी देना।

5– किसी ऐसे मामले के बारे में कार्यवाही करना जिसे कार्यवाही हेतु मीटिंग में पेश किया हो।

6– किसी विशेष आवश्यकता के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति से सब कमेटी बनाना।

7– **बैठक** :– ट्रस्टीज बोर्ड की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी, जो आवश्यकतानुसार 24 घण्टे पूर्व कभी भी बुलाई जा सकती है।

8– **बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज** :–
ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत कार्य करने वाला समूह बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज कहलायेगा। जिसमें मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर भी सम्मिलित है।

9– **बैठक** :– बोर्ड ऑफ मैनेजिंग ट्रस्टीज की सामान्य बैठक कभी भी तीन दिवस की लिखित सूचना पर एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित सूचना पर बुलाई जा सकती है।

तारादेवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 341553

9— **रिक्त स्थानों की पूर्ति** :—ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत समय से पहले अचानक किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से बचे हुए कार्यकाल के लिए ट्रस्ट मण्डल में से की जायेगी एवं कार्यकाल पूरा होने पर उसकी नियुक्ति उस पद पर आजीवन स्थायी अथवा जिस व्यक्ति का स्थान खाली हुआ है उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से की जायेगी । कोई भी ट्रस्टीज के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर ता उम्र अपने पद पर बने रहेंगे उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी एवं मैनेजर होंगे ।

10— **ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य** :—

1— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना ।
2— ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना/करवाना।
3— ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4— ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर वो कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हो ।

11— **विशेष** :—

1— मुख्य न्यासी का पद वंशानुगत होगा ।
2— न्यास लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा।

12— **ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य**—
मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर

1— ट्रस्ट में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
2— बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

तारादेवी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 341554

3– कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।
4– ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
5– ट्रस्ट का कार्यालयी प्रबन्ध देखना।
6– पारित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
7– ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
8– ट्रस्ट के बैठकों की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को देना।
9– समस्त निदेशकों, सदस्यों को लाभ प्रदान करना, वेतन देना, वेतन में वृद्धि एवं कटौती करना अथवा उन लोगों द्वारा लिए गये ऐसे निर्णय जो ट्रस्ट अथवा उसके लिए अहितकारी या अलाभकारी हो, उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाना।
10– समस्त, सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौंपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्धन करना।
11– ट्रस्ट के जुड़ी प्रत्येक कमेटियों/यूनिटों (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियाँ/यूनिट सम्मिलित हैं)।
12– ट्रस्ट के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना अथवा ऐसा करने की संस्तुति देना।
13– सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
14– प्रशासकीय कार्यों के दायित्वों का निर्वहन करना।
15– ट्रस्ट के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना।

तारादेवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 341555

16– बैंक खाते का संचालन ट्रस्टी/सेटलर/अध्यक्ष/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से करेगा।

17– ट्रस्ट के विकास हेतु दान–अनुदान चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना।

18– पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।

19– चल एवं अचल सम्पत्ति की देख–रेख व सुरक्षा करना।

20– सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।

21– बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना ।

22– बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तित करना।

23– ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।

24– ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों का चयन मुख्यन्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक तथा अध्यक्ष के सहमति से किया जायेगा, जो कि सबको अनुमन्य होगा।

उपाध्यक्ष:– यह कि मुख्य न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अनुपस्थित रहने पर समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा।

सचिव :–

1– समस्त संस्थाओं/एजेंसियों/विभाग/मंत्रालय से संबंधित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।

2– ट्रस्ट के बैठकों की सूचना प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों को देना।

3– बैठक का एजेण्डा तैयार करना।

तारादेवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 341556

कोषाध्यक्ष :— 1— संस्था की आय व्यय का लेखा जोखा रखना।

2— मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

3— संस्था की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।

4— बैंक खातों का संचालन संयुक्त हस्ताक्षर से या एकल खाते से संचालित होगा।

13— **ट्रस्ट का कोष** :— ट्रस्ट कोष किसी भी सम्मानित डाक व राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका आहरण ट्रस्टी/मैनेजर एवं उसके द्वारा नामित व्यक्ति के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

14— **ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट**–ट्रस्ट के आय–व्यय का परीक्षण/आडिट किसी योग्य आडीटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा, जिसकी नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से होगी। हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

15— **ट्रस्ट की नियमों/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया** :—

ट्रस्ट के नियमों विनियमों में संशोधन की यदि आवश्यकता समझी जाती है तो तो ऐसे नियमों/विनियमों में संशोधन की सहमति कोई अपेक्षित मैनेजिंग ट्रस्टीज की बैठक में बहुमत से की जा सकेगी और ऐसे संशोधन को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक ट्रस्ट डीड देकर पंजीकृत कराया जायेगा।

16— **ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व**—

ट्रस्ट द्वारा होने वाले समस्त अदालती कार्यवाही की पैरवी मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा की जायेगी।

http://witto.io

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   BP 341557

(17)

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1- [illegible] [illegible]

[illegible]

2- [illegible]

[illegible]

[illegible]- 23/08/016

[illegible]

Adarsh K. Srivastava
23/08/018 Adv.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

प्रतिफल: [illegible]

तारादेवी

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

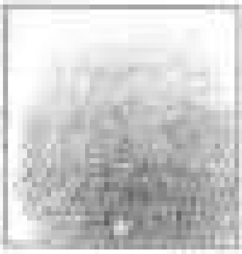

[illegible]
[illegible]

पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
[illegible]
उप निबंधक [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

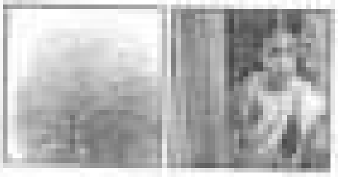

व्यवसाय: कृषि

[illegible]

पहचानकर्ता : 1

[illegible]

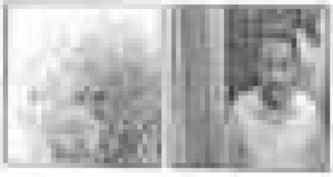

निवासी: [illegible]

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

[illegible]

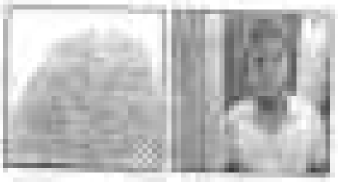

निवासी: [illegible]

व्यवसाय: कृषि

पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible]

उप निबंधक [illegible]

[illegible]

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 44 के पृष्ठ 53 से 86 तक क्रमांक 43 पर दिनांक 29/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र पाठक

उप निबंधक : सदर

[illegible] नगर

29/08/2018

प्रिंट करें